



डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

संख्या:सम्बद्धन/234/2022

दिनांक:.....21/11/2022

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक

शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक कालेज एवं अस्पताल

बड़हलगाँव

गोरखपुर।

विषय:- बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपसलाहकार (एच), गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एण्ड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एण्ड होम्योपैथी (आयुष), आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कोम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110023 के पत्र संख्या: F.No.R.14014/235/2020-EP-II दिनांक 11.09.2020 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007) की धारा-37 (2) के अधीन आपके महाविद्यालय/संस्थान को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत चिकित्सा शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एच०एम०एस० (होम्योपैथिक) पाठ्यक्रम में 125 सीट सत्र 2020-21 हेतु (दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक) एक वर्ष हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त संस्थान को सत्र 2020-21 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित कमियों के साथ सशर्त सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है:-

1. यद्यपि राजकीय संस्थान हैं शिक्षकों की नियुक्ति का प्रमाण संलग्न नहीं है। 2. अग्निशमन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
3. एन०बी०सी० प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एण्ड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एण्ड होम्योपैथी (आयुष), आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कोम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110023 के उक्त पत्र दिनांक 11.09.2020 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा :-

- (1) This permission of the Government of India is accorded initially for a period of one year and will be renewed on yearly basis subject to the verification of the achievement of annual targets as indicated in the scheme submitted by the institute and regulations made in this regard. This process of renewal of permission will continue till such time the establishment of Homeopathic medical college and expansion of hospital facilities are completed.
- (2) The applicant should provide all infrastructural facilities in terms of teaching and non-teaching staff building, equipment and hospital facilities as per Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Ayush norms as notified from time to time.
- (3) The applicant should provide requisite Bank-Guarantee and other document as per under section 13 HCC Act. 1973. Regulations framed thereunder directly to the HCC.
- (4) Admissions made in violation of the above conditions will be treated as irregular and shall be liable for action under section 13 HCC Act. 1973 & Regulations made thereunder.
- (5) संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी०सी०एच०-रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन-दिवस के उपरांत ही करायी जायेगी।
- (6) संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बंधित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

यदि प्रबन्धतंत्र उपरोक्त वार्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद की बैठक दिनांक 06.01.2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सशर्त जारी की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1- सचिव, गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद, योगा एण्ड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एण्ड होम्योपैथी (आयुष), आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कोम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110023
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
- 4- निजी सचिव कुलपति।
- 5- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।
- 6- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।
- 7- वेवसाइट प्रभारी।

कुलसचिव